अपलोड/ईमेल

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025
सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13(19)खा.वि./आवंटन/2024–02145 जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

समस्त,
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न परिवहन के टेण्डर डाक्यूमेन्ट की शर्त संख्या 14 की पालना सुनिश्चित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न परिवहन हेतु अनुमोदित टेण्डर डाक्यूमेन्ट की शर्त संख्या 14 के अनुसार खाद्यान्न परिवहन के समय उचित मूल्य दुकान पर अनलोडिंग करते समय की समस्त जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की ही होगी, जिसमें तुलाई का व्यय भी शामिल है।

अधिकांश जिलों में इसकी पालना की जा रही है, किन्तु कुछ जिलों में इसकी पालना नहीं हो रही है तथा यह व्यय उचित मूल्य दुकानदार पर डाला जा रहा है, जो उचित नहीं है।

अतः समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि टेण्डर डाक्यूमेन्ट की शर्त संख्या 14 की पालना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उचित मूल्य दुकान पर खाद्यान्न अनलोडिंग के समय तुलाई का व्यय का वहन परिवहनकर्ता द्वारा किया जायें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

Signature Not Verified
Digitally Signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date :19-11-2025 06:32:16

RajKaj Ref No.: 18929798
eSign DSC